

कार्यकारी सार

पिछले दशक के दौरान अवसंरचना क्षेत्रों जैसे विद्युत उत्पादन, रेलवे, सड़क, पत्तन, हवाई अड्डे, सिंचाई, जल आपूर्ति तथा दूरसंचार सेवाओं में भारी निवेश ने भारत को विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में सामने आने में सहायता की है। अवसंरचना विकास ने भारत में एक बेहतर निवेश वातावरण उपलब्ध कराया है। पिछले दो दशकों में औद्योगिक उपक्रमों तथा उद्यमों के लिए कर मुक्ति के प्रावधान ने 'अवसंरचना विकास' में निवेश में भारी वृद्धि की है। धारा 80 आईए में दी गई शर्तों को पूरा करने की शर्त पर 'अवसंरचना विकास' अथवा 'पात्र व्यवसाय' में लगे औद्योगिक उपक्रमों अथवा उद्यमों के लाभों एवं प्राप्तियों के संबंध में निश्चित अवधि के लिए सौ प्रतिशत पर कटौतियों का प्रावधान करती है।

हमने निम्नलिखित की जांच करने के उद्देश्य से आय कर विभाग (आईटीडी) की निष्पादन लेखापरीक्षा की कि क्या

- (क) आईटीडी द्वारा अधिनियम/नियमावली/परिपत्रों/निर्देशों के प्रावधान के अनुपालन में केवल पात्र निर्धारितियों/व्यवसायों को धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई है;
- (ख) सामान्य तथा विशिष्ट परिस्थितियों में धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती के अनुमोदन की निगरानी के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है;
- (ग) कटौती के अनुमोदन से संबंधित नीति के प्रशासन में अधिनियम के प्रावधान में कमी/अस्पष्टताएं हैं जो मुकदमेबाजी को बढ़ाती हैं; तथा
- (घ) कर मुक्ति अथवा उसमें विस्तार का उद्देश्य पूरा हुआ है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्त वर्षों 2012-13 से 2014-15 तथा लेखापरीक्षा की तारीख तक निर्धारण अधिकारियों (एओज) द्वारा पूरे किये गए निर्धारण शामिल हैं। जहां आवश्यक था, वहां चयनित निर्धारिती के पिछले निर्धारण वर्षों के निर्धारण अभिलेखों की भी जांच की गई थी।

आईटीडी ने 13 राज्यों में 13 मामलों में अनियमित रूप से विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग द्वारा बनाए गए संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित अवसंरचना, व्यक्तियों के संगठन (एओपीज) के स्वामित्व वाले उपक्रमों, वे निर्धारिती जिन्होंने सरकार के साथ अनुबन्ध नहीं किया था, नॉन-कम्पलाइट औद्योगिक पार्क

तथा बाहर किये गए निर्माण ठेकेदारों के संबंध में निर्धारितियों को कटौती अनुमत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 205.84 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय का कम निर्धारण हुआ।

[पैरा 2.2]

आईटीडी ने आठ राज्यों में 16 मामलों में अनियमित रूप से निर्धारितियों को कटौती अनुमत की थी जहां निर्धारिती का व्यवसाय जैसे प्लाट की बिक्री, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अन्तर्गत शामिल की गई परियोजनाओं, रूपान्तरण प्रभार, पार्क का विकास/रख-रखाव इत्यादि कटौती के पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 174.35 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय का कम निर्धारण हुआ।

[पैरा 2.3]

आईटीडी ने आठ राज्यों में 19 मामलों में कार्बन क्रेडिट की बिक्री के माध्यम से अर्जित आय के संबंध में अनियमित रूप से कटौती अनुमत की जिसमें ₹ 34.77 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 2.8]

आयकर विभाग ने पांच राज्यों में नौ मामलों में कटौती हेतु व्यय को राजस्व के रूप में मानने, चल परिसम्पतियों को बिक्री, धारा 40ए (3) 14ए, 40(ए) के अंतर्गत अननुमति के आधार पर की गई वृद्धियों पर अनियमित रूप से विचार किया। इसके परिणामस्वरूप, निर्धारिती द्वारा दावा की गई राशि से अधिक की अनुमति दी गई थी जिसमें ₹ 74.66 करोड़ का परिणामी कर प्रभाव शामिल है।

[पैरा 2.9]

आयकर विभाग ने निर्धारितियों द्वारा उनके निजी उद्देश्यों के लिए निर्मित एवं प्रचालित रेलवे साइडिंगो/जैटिज, जिन्हें धारा 80 आईए (4) की व्याख्या के संबंध में अवसंरचना सुविधाओं के रूप में नहीं माना जाता, से प्राप्त लाभों के संदर्भ में दो राज्यों में आठ मामलों में निर्धारितियों को अनियमित रूप से कटौती की अनुमति दी थी। कटौती की अनियमित अनुमति से ₹ 2066.70 करोड़ का कर प्रभाव हुआ।

[पैरा 2.10]

आयकर विभाग ने विवरणी की विलंब से फाइलिंग के बावजूद छह राज्यों में 11 मामलों में कटौती की अनुमति नहीं दी थी जिसके परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 80.49 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

[पैरा 3.2]

आयकर विभाग ने घोषित आरंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू करते हुए 10 क्रमानुगत निर्धारण वर्षों की अनुमत सीमा से अधिक की अवधि हेतु चार राज्यों में छह मामलों में निर्धारितियों को अनियमित रूप से कटौती की अनुमति दी थी। कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 859.47 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल है।

[पैरा 3.3]

आयकर विभाग ने आठ राज्यों, जहां निर्धारिती ने सामान्य व्ययों का पात्र और अपात्र यूनिटों के बीच उचित रूप से विभाजन नहीं किया था, में 15 मामलों में निर्धारितियों को अनियमित रूप से कटौती की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अधिक अनुमति दी गई जिसमें ₹ 224.47 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल है।

[पैरा 3.4]

आयकर विभाग ने उन उद्यमों या उपक्रमों से संबंधित लाभों के संदर्भ में चार राज्यों में सात मामलों में निर्धारितियों को कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी जो समामेलन/ अविलय की योजना में स्थानांतरित किए गए थे, यद्यपि यह समामेलन/अविलय 01.04.2007 के या इसके बाद प्रभावी हुए थे। कटौती की गलत अनुमति से आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 376.10 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल हैं।

[पैरा 3.5]

आयकर विभाग ने आय/कर की गणना में त्रुटि, मूल्यहास, अनुमत दोहरी कटौती, अन्य आय शीर्ष पर अनुमत कटौती आदि के कारण 10 राज्यों में 43 मामलों में निर्धारितियों को कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी। इन मामलों में कटौती की अननुमति में चूक के फलस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 143.65 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल हैं।

[पैरा 3.6]

आयकर विभाग ने विद्युत की सीमित खपत के मामले में उन चार राज्यों में छह मामलों में निर्धारितियों को कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी जहां निर्धारितियों ने बाजार दर की अपेक्षा उच्चतर दर अपनाते हुए अधिक कटौती का दावा किया था। निर्धारण अधिकारियों (एओज) ने इन मामलों में उचित कटौती की सही राशि प्राप्त करने हेतु धारा 80 आईए (8) के प्रावधानों की सहायता नहीं ली जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अधिक अनुमति दी गई जिसमें ₹ 15.10 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल हैं।

[पैरा 3.7]

आयकर विभाग ने छह राज्यों में 11 मामलों में निर्धारितियों को कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी यद्यपि उपयोग किए जा रहे संयंत्र और मशीनरी पुरानी थी अथवा पूर्ववर्ती अवसरचना सुविधा थी अथवा पहले से मौजूद व्यवसाय की विपाटन द्वारा बनाया गया उपक्रम थी। कटौती की अनियमित अनुमति में ₹ 40.51 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल हैं।

[पैरा 3.8]

आयकर विभाग ने निर्धारितियों को ब्याज प्राप्तियों, आयात लाइसेंस की बिक्री, बीमा दावा आदि पर 12 राज्यों में 27 मामलों में कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त व्यवसाय का लाभ शामिल था। कटौती की अधिक अनुमति से ₹ 227.87 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा।

[पैरा 3.10]

आयकर विभाग ने निर्धारितियों को लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन पत्र सहित फार्म 10 सीसीबी में आवश्यक लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट सूचना का सत्यापन किए बिना 11 राज्यों में 65 मामलों ने कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी।

[पैरा 4.4]

सीबीडीटी के पास देश की आर्थिक एवं औद्योगिक वृद्धि पर धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की राशि पर पूर्व निश्चित राज्य के निर्धारण तथा प्रभाव हेतु कोई स्थापित तंत्र नहीं था। प्रायोजक मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने हेतु कोई मौजूदा प्रणाली नहीं थी कि क्या कर मुक्तता का अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर वांछित प्रभाव पड़ता है। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ है कि क्या अधिनियम में कटौतियों की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य

प्राप्त हुआ है। सीबीडीटी यह आश्वासन देने हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत करने में भी विफल रहा कि सरकार ने योजना के लागत-लाभ विश्लेषण को करने हेतु कोई प्रणाली बनाई है ताकि निर्धारित कम्पनियों को दी गई छूटों/अननुमतियों से समाज को प्राप्त हुए लाभ का निर्धारण किया जा सके।